न्यायालय सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी कोलायत

बइजलास – श्री प्रदीप कुमार आर.ए.एस.

वाद संख्या 09/2022.

1. कालुराम पुत्र हजारीराम
2. जेठाराम पुत्र बालुराम
3. नत्थुराम पुत्र बालुराम
4. बुधाराम पुत्र हजारीराम

जाति मेघवंशी निवासीगण गुडा तहसील कोलायत जिला बीकानेर

.....वादीगण

बनाम

1. कालुराम पुत्र मघाराम
2. किरण पुत्री मघाराम
3. गोविन्दराम पुत्र मघाराम
4. पेम्पाराम पुत्र मघाराम
5. भंवरराम पुत्र मघाराम
6. राजू पुत्री मघाराम
7. रामदेव पुत्र मघाराम
8. लेखूराम पुत्र मघाराम
9. सुखाराम पुत्र आईदानराम जाति गुरडा निवासी छोटी सवाई तहसील सरदारशहर जिला चुरू राजस्थान।
10. हीरा पुत्री मघाराम जाति मेघवंशी निवासी कोटडी तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
11. राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) कोलायत।

.....प्रतिवादीगण

दावा बाबत् बटवारा एवं चिरनिषेधाज्ञा अन्तर्गत
धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित अभिभाषक

1. श्री जीवराज कुमावत अभिभाषक वादीगण।
2. पैरोकारराज राज्य की और सें।
3. प्रतिवादी सं. 1 ता 8 एक पक्षीय कार्यवाही है।
4. प्रतिवादी संख्या 9 की और से श्री हनुमान शर्मा एडवोकेट उपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक :– 25.02.2022

1. विचाराधीन वाद पत्र दिनांक 10.01.2022 को इस न्यायालय में शामिल किया गया।
2. संक्षेप में प्रकरण से सम्बन्धित आवश्यक एवं सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम चक डाडर तहसील कोलायत की सवंत् 2075 से 2078 की जमाबन्दी में खसरा नम्बर 46 व 498/45 तादादी क्रमशः 0.7400 हैक्टर व 3.8700 हैक्टर कुल तादादी 4.6100 हैक्टर भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 की संयुक्त खातेदारी एवं

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला–बीकानेर

Scanned with CamScanner

कब्जा काश्त मे दर्ज है के सम्बन्ध में वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के खिलाफ बंटवारा किये जाने का वाद प्रस्तुत किया जिसमें प्रतिवादी संख्या 10 के लिये भी बंटवारे का अनुतोष चाहा गया। वादीगण का अभिकथन है कि चुकि भूमि संयुक्त खाते में दर्ज होने से भूमि का समुचित विकास एवं दोगर उपयोग व उपभोग करने मे कही प्रकार की व्यवाहारिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। अस्तु वादीगण ने अपने व प्रतिवादी संख्या 10 के हिस्से जमीन को बाई मीट्स एवं बाउन्ड्स में विभाजित कर अलग खाता एवं लगान कायम कराकर दखल दिलाये जाने का निवेदन किया। वादीगण के कथनानुसार प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 उक्त भूमि को बिना विभाजन करायें अन्य शख्स को विक्रय करने हेतु आमादा एवं तत्पर है। वादीगण की विभाजन कराये जाने का प्रतिवादीगण से की गयी प्रार्थना को ठुकराने एवं भूमि का अन्तरण करने की चमकी वादी को मिलाने पर यह दावा न्यायालय में प्रस्तुत करना पड़ा। और इसलिये प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि जब तक विभाजन की अन्तिम डिग्री जारी न हो जाये तब तक भूमि विवादित के साथ उसके कब्जें काश्त मे किसी प्रकार की रूकावट व बाधा उप्पन्न करें।

3. इस वाद के प्रतिवादीगण को सम्मन बनाम मुदायलह बिनावर कायमी तनकियात भिजवाया गया। प्रतिवादीगण को रजिस्टर्ड एडी से भी तलब किया गया। लेकिन 31 दिन की कानूनी अवधि मे न तो उनकी पावती प्राप्त हुई और ना ही वे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आयें। ऐसी स्थिति मे उनकी स्वेच्छिक अनुपस्थित को माना जाकर उनके विरूद्ध कार्यवाही एक पक्षीय अमल में ली गयी। लेकिन प्रतिवादी संख्या 11 राज्य की और से राज़ पैरोकाराज न्यायालय में उपस्थित और प्रकरण में पक्षकारों के मध्य विभाजन करने में अपनी सहमति प्रकट की।

4. मैने वादीगण एवं प्रतिवादीगण राज्य की और से उपस्थित विद्वान काउन्सेंल को विभाजन की प्राथमिक डिग्री पर सुना एवं उस पर विचार किया तथा पत्रावली का आधोपरान्त अध्ययन एवं अवलोकन किया है। ग्राम चक डाडर की संवत् 2075 से 2078 व खसरा नक्शा की प्रमाणित प्रतिलिपि पत्रावली में उपलब्ध है। जिसके अवलोकन से जाहिर हुवा है कि आराजीराज खसरा नम्बर 46 तादादी 0.7400 हैक्टर व खसरा नम्बर 496/45 तादादी 3.8700 हैक्टर कुल 4.6100 हैक्टर के सम्बन्ध में वादीगण संख्या 1 ता 4 व 10 प्रत्येक का हिस्सा उनके नाम के सामने एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 का बहिस्सा उनके नाम के सामने अंकित हिस्सा उनकी खातेदारी मे सयुक्त रूप से दर्ज है। यह कानून का सर्वमान्य सिद्धान्त है कि एक अभिलिखित खातेदार काश्तकार को अपने हिस्से आयी आराजी को बांटवारें मे प्राप्त कर अलग दखल प्राप्त करने का हक हासिल है। ऐसी स्थिति में न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही है, प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 की अनुपस्थिति भी बंटवारें किये जाने मे उनकी मौन स्वीकृति ही जाने की अवधारणा है। उक्त चर्चा की दृष्टि से वादीगण का वाद प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 खिलाफ स्वीकार योग्य हो जाता है।

5. उपरोक्तानुसार वादीगण का वाद खिलाफ प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 स्वीकार किया जाता है। तथा ग्राम चक डाडर की सवंत् 2072 से 2075 की जमाबन्दी में खाता

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला–बीकानेर

Scanned with CamScanner

संख्या 26 नया के अन्तर्गत आराजीराज पर तहसीलदार राजस्व कोलायत को मौका कमिश्नर नियुक्ति कर आदेश दिया जाता है कि यथासंभव दोनो पक्षों की उपस्थिति मे उनकी जमीन की नपती कर राजस्व मण्डल अजमेर के प्रतिपादित नियम 18 से 21 की पालना करते हुवे वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 10 हिस्सा बाईमीट्स एवं बाउण्ड्स यानि अच्छी से अच्छी एवं माड़ी में से माड़ी विभाजित कर उनका खाता व लगान पृथक कायम कर उन्हे अलग दखल दिलाये जाने के इस आशय के प्रस्ताव नजरी नक्शा जिसमें दोनो पक्षों की भूमियों को अलग–अलग रंगो से दर्शित करते हुए तैयार कर 15 योंम में इस न्यायालय को भिजवायें जाये ताकि उनके मध्य विभाजित की अन्तिम डिग्री दी जानी मंजुर की जा सकें। साथ ही यह भी डिग्री दी जाती है कि विभाजन की अन्तिम डिग्री हाने तक प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 भूमि विवादित से वादीगण में वादीगण प्रतिवादी संख्या 10 के साथ कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहतह न करें तथा ना ही अपना अविभाजित हिस्सा किसी अन्य शख्स के पक्ष में अन्तरण ही करें। उपरोक्तानुसार डिग्री पारित की जाती है। निर्णय एवं डिग्री की प्रति तहसीलदार राजस्व कोलायत को पालनार्थ प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 25.02.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोलायत

643
25/02/2022

(प्रदीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर पदेन
कोलायत जिला–बीकानेर
उपखण्ड अधिकारी
कोलायत

निर्णय प्राथमिक डिग्री तहसीलदार राजस्व कोलायत को प्रेषित कर लेख है कि प्राथमिक डिग्री के प्रस्ताव व नजरी नक्शा तैयार कर अन्दर 15 दिवस में प्रस्तुत करें। ताकि अन्तिम डिग्री जारी की जा सकें।

(प्रदीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर पदेन
कोलायत जिला–बीकानेर
उपखण्ड अधिकारी
कोलायत

Scanned with CamScanner